



प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान  
Institute for Plasma Research

Bhat, Gandhinagar 382 428, Gujarat, (India)  
भाट, गांधीनगर ३८२ ४२८, गुजरात, (भारत)



## **Application for Enlistment of Electrical Contractor**

Name of work:

Enlistment as an Electrical contractor for Electrical work at  
Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar, Gujarat

**Tender No: IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL**

**Dated: 18/03/2025**

एक बोली प्रणाली  
**Single Bid System**

निविदा आमंत्रित करने वाले:

**अध्यक्ष, आई-सीडीसी**

प्राधिकारी का नाम और पता:

प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (IPR)

इंदिरा पुल के पास, भाट, गांधीनगर-382428

**Address of Tender:  
Inviting Authority**

**Chairperson, I-CDC,**

Institute for Plasma Research (IPR)

Near Indira Bridge,

Bhat – Gandhinagar – Gujarat – 382428

**Contact Person: Ms. Priyadarsini Gaddam,**

Officer In-charge, e- Tender, IPR

(E-mail id: etender.icdc@ipr.res.in)

Telephone No. –079-2396 2000 – 2396 2296

Fax No. -079 -2396 2277

नोट : इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण में किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण प्रबल रहेगा।

NOTE: In case of any contradiction between English and Hindi version, English version will prevail.



# प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान Institute for Plasma Research

Bhat, Gandhinagar 382 428, Gujarat, (India)  
भाट, गांधीनगर ३८२ ४२८, गुजरात, (भारत)



## Tender Notice (Newspaper Advertisement)

Tender Notice no: IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL dated 18/03/2025

On behalf of the Director, Institute for Plasma Research, Nr. Indira Bridge, Bhat, Gandhinagar – Gujarat - 382 428, Applications are invited by the Chairperson, Infrastructure & Campus Development committee, IPR, from eligible contractors:

निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज़्मा रिसर्च, निकट इंदिरा ब्रिज, भाट, गांधीनगर - गुजरात - 382 428, की ओर से अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कैम्पस डेवलपमेंट कमेटी, आईपीआर द्वारा पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

<b>Name of Work:</b> काम का नाम:	<b>Enlistment as an Electrical contractor for electrical work at Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar, Gujarat</b>
<b>Value of Work up to (Rs.)</b> कार्य का मूल्य (₹)	<b>10.00 Lakhs</b>
<b>Period of Empanelment</b> अवतरण की अवधि	<b>3 Years (i.e. up to 31/03/2028)</b>
<b>Tender document available for download</b> डाउनलोड के लिए उपलब्ध निविदा दस्तावेज	<b>18/03/2025 ( 15:00 Hours) onwards</b>
<b>Last date of submission of tender</b> निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	<b>Up to 15:00 Hours on 22/04/2025</b>

Reputed and interested electrical contractors meeting the eligibility criteria may download the detailed information, standard formats for eligibility criteria and documents to be uploaded on the website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित और इच्छुक विद्युत ठेकेदार विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंडों के लिए मानक प्रारूप और दस्तावेजों को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर अपलोड कर सकते हैं।

The above notice, detailed tender notice, eligibility criteria and prescribed forms can also be viewed and downloaded from our website <https://www.ipr.res.in/documents/tenders.html>.

उपरोक्त सूचना, विस्तृत निविदा सूचना, पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रपत्र हमारी वेबसाइट <https://www.ipr.res.in/documents/tenders.html> से भी देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

The Director, IPR reserves the right to accept or reject tender in full or part of any or all tenderers or to cancel the tender in toto without assigning any reason thereof.

निदेशक, आईपीआर को किसी एक या सभी निविदाकारों की निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

## विधुत कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता हेतु सूचना

DETAILED NOTICE FOR ENLISTMENT OF CONTRACTORS FOR ELECTRICAL WORKS

Tender Notice No.: IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL dated 18/03/2025

निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, की ओर से अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कैम्पस डेवलपमेंट कमेटी, आईपीआर द्वारा पात्र ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

On behalf of the Director, Institute for Plasma Research, Applications are invited by the Chairperson, Infrastructure & Campus Development committee, IPR, from eligible contractors.

प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जो कि भारत में बुनियादी प्लाज्मा भौतिकी, चुंबकीय परिरोध संलयन और प्लाज्मा के औद्योगिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए समर्पित है।

The Institute for Plasma Research is a premier scientific research institute under the Department of Atomic Energy, Govt. of India, devoted to research and development activities in the areas of Basic Plasma Physics, Magnetic Confinement Fusion and Industrial and Societal applications of plasmas.

संस्थान १० लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के विधुत कार्यों के लिए 3 साल की अवधि हेतु विद्युत ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना चाहता है। आपकी फर्म के सूचीबद्ध होने के बाद, संस्थान ई-पोर्टल पर ई-निविदा मोड के माध्यम से सीमित निविदा आमंत्रित करेगा।

The Institute wishes to enlist Electrical contractors for a period of 3 years (~ up to 31/03/2028) for electrical works of estimated cost up to ₹ 10 lacs. After Enlistment of your firm, Institute may invite limited tender through e-tender mode on e-portal.

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित और इच्छुक विद्युत ठेकेदार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने, दस्तावेज जमा करने तथा मानक प्रारूपों को वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त करके सबमिट करने के लिए मानक प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

Reputed and interested electrical contractors meeting the eligibility criteria may download the detailed information, documents to be submitted and standard formats for eligibility criteria to be submitted from the website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

आवेदक दिनांक २२/०४/२०२५ को १५:०० बजे या उससे पहले नामांकन हेतु आवेदन जमा कर सकता है। प्रत्येक दस्तावेज को मुहरबंद और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अधूरे और सहायक दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

The applicant can upload all supporting documents on or before 15:00 hrs. on 22/04/2025. Each documents should be signed and stamped. Incomplete applications & applications without supporting documents are liable to be rejected.

दिनांक २२/०४/२०२५ तक प्राप्त आवेदनों की जाँच की जाएगी तथा अर्हता प्राप्त आवेदक को सूचीबद्ध विद्युत ठेकेदार के रूप में शामिल किया जाएगा। दिनांक २२/०४/२०२५ के बाद भी आवेदक नामांकन हेतु अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। समयानुसार उनकी जाँच की जाएगी।

The application received till 22/04/2025 will be scrutinized and qualified applicant shall be included in the enlisted electrical contractor. Applicants can also submit their application for Enlistment after 22/04/2025, they will be scrutinized in due course of time.

भाग-ए: -निविदा और ऑनलाइन जमा करने संबंधी जानकारी एवं निर्देश

## **PART-A: INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR e-TENDERING AND ONLINE SUBMISSION**

### **Instructions for Online Bid Submission**

*(Department User may attach this Document as an Annexure in their Tender Document which provides complete Instructions for on line Bid submission for Bidders)*

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

#### **REGISTRATION**

- 1) Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link "Online bidder Enrollment" on the CPP Portal which is free of charge.
- 2) As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- 3) Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.
- 4) Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify / nCode / eMudhra etc.), with their profile.
- 5) Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.
- 6) Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

#### **SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS**

- 1) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- 2) Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
- 3) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

## PREPARATION OF BIDS

- 1) Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.
- 2) Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.
- 3) Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- 4) To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

**Note:** *My Documents space is only a repository given to the Bidders to ease the uploading process. If Bidder has uploaded his Documents in My Documents space, this does not automatically ensure these Documents being part of Technical Bid.*

## SUBMISSION OF BIDS

- 1) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.
- 2) The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.
- 3) Bidder has to select the payment option as "offline" to pay the tender fee / EMD as applicable and enter details of the instrument.
- 4) Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the DD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- 5) Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the white coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

- 6) The server time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.
- 7) All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys. Overall, the uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- 7) The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.
- 8) Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.
- 9) The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

#### ASSISTANCE TO BIDDERS

- 1) Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.
- 2) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

\*\*\*\*

#### Additional Notes:

1. Bids shall be submitted online only at CPP Portal website :  
<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>  
बोलियां केवल सीपीपी पोर्टल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>
2. The agency shall download the pre bid clarification if any for the work and upload the same (scanned copy) duly signed and sealed. The revised documents (if any) shall be uploaded in e tender portal.  
एजेंसी को कार्य के लिए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण (यदि कोई हो) डाउनलोड करना होगा और उसे विधिवत हस्ताक्षरित और सीलबंद करके अपलोड करना होगा (स्कैन की गई प्रति)। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
3. Tenderers are advised to upload their documents well in advance, to avoid last minutes rush on the server or complications in uploading. Institute for Plasma Research, in any case, shall not be held responsible for any type of difficulties during uploading the documents including server and technical problems whatsoever.  
निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज पहले ही अपलोड कर दें, ताकि सर्वर पर आखिरी समय में होने वाली भीड़ या अपलोड करने में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। किसी भी मामले में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को सर्वर और तकनीकी समस्याओं सहित दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

4. Submission of the tender documents after the due date and time (including extended Period, if any) shall not be permitted.  
निर्धारित तिथि और समय (विस्तारित अवधि सहित, यदि कोई हो) के बाद निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. Intending Bidders are advised to visit this website regularly till closing date of submission to keep themselves updated as any change/ modification in the tender will be intimated through this website only by corrigendum / addendum/ amendment.  
इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को अद्यतन रखने के लिए प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि तक नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि निविदा में किसी भी परिवर्तन/संशोधन की सूचना केवल शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन द्वारा इस वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
6. Institute reserves the right to accept or reject the tender(s) in full or in part, without assigning any reason thereof. Tenders with any conditions including conditional rebate shall be rejected forthwith.  
संस्थान बिना कोई कारण बताए निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त वाली निविदाओं को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

भाग-बी: मेक इन इंडिया के प्रावधानों के संबंध में बोलीदाताओं को निर्देश।

## **PART-B: INSTRUCTIONS TO BIDDERS REGARDING PROVISIONS OF MAKE IN INDIA.**

The bidder shall submit their quoted bid in compliance with the following provisions for Make in India. बोलीदाता को मेक इन इंडिया के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन में अपनी उद्धृत बोली प्रस्तुत करनी होगी।

### **1. MAKE IN INDIA**

- i. As defined under the Public Procurement (Preference to Make in India), order 2017, Revised order dated: 16/09/2020 or as being revised from time to time, in procurement of goods or services in respect of which the Nodal Ministry/Department has communicated, that there is sufficient local capacity and local competition, only “Class-I local supplier”, as defined under the said order, shall be eligible to bid irrespective of purchase value.

जैसा कि सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, संशोधित आदेश दिनांक 16/09/2020 या समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है, के तहत परिभाषित किया गया है, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद में जिसके संबंध में नोडल मंत्रालय/विभाग ने सूचित किया है कि पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता", जैसा कि उक्त आदेश के तहत परिभाषित किया गया है, खरीद मूल्य के बावजूद बोली लगाने के लिए पात्र होगा।

- ii. Only “Class-I local supplier” and “Class-II local supplier”, as defined under the above said order, shall be eligible to bid in procurements under taken by this Institute, except where the mode of procurement is by issue of Global Tender Enquiry. The bidding supplier shall indicate the percentage of local content for the item being offered in their bid.

उपरोक्त आदेश के तहत परिभाषित केवल "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही इस संस्थान द्वारा की जाने वाली खरीद में बोली लगाने के पात्र होंगे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां खरीद का तरीका वैश्विक निविदा जांच जारी करना है। बोली लगाने वाले आपूर्तिकर्ता को अपनी बोली में पेश की जा रही वस्तु के लिए स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा।

- iii. Where the procurement is by issue of Global Tender enquiry, Non local suppliers, shall also be eligible to bid along with “Class-I local suppliers and Class-II local suppliers”. Suppliers/bidders offering imported products will fall under the category of Non-local suppliers.

जहां खरीद वैश्विक निविदा जांच के माध्यम से की जाती है, वहां गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" और "श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" के साथ बोली लगाने के पात्र होंगे। आयातित उत्पादों की पेशकश करने वाले आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी में आएंगे।

- iv. Subject to the provisions of the above said order, and to any specific instructions issued by the Nodal Ministry or in pursuance of the said order, purchase preference shall be given to “Class-I local Suppliers” in procurements under taken by this Institute, in the manner specified there in the order.

उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों, तथा नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी विशिष्ट अनुदेशों अथवा उक्त आदेश के अनुसरण में, इस संस्थान द्वारा की जाने वाली खरीद में, आदेश में निर्दिष्ट तरीके से, "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं" को खरीद वरीयता दी जाएगी।

- v. The bidders along with their bid/tender shall be required to provide a self-declaration certificate of the local content (where the procurement value is Rs.10 Crore or less) for the



item offered and their status as Class-I/Class-II/Non-Local supplier and their eligibility to participate in the tender. In cases of procurement for a value in excess of Rs.10 crores, the “Class-I local supplier”/“Class-II local supplier” shall be required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of Contractors other than companies) giving the percentage of local content.

बोलीदाताओं को अपनी बोली/निविदा के साथ स्थानीय सामग्री (जहां खरीद मूल्य 10 करोड़ रुपये या उससे कम है) का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा और उन्हें क्लास-I/क्लास-II/गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति और निविदा में भाग लेने की पात्रता बतानी होगी। 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामले में, “क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता”/“क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता” को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य ठेकेदारों के संबंध में) से स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

- vi. Self-declaration certificate should quantify the percentage of local content of the offered product only. It should also indicate the location. However, claiming the services such as transportation, insurance, installation & commissioning, training and after sale service support like AMC/CMC etc., shall not be considered as local content as per OM N.P-45021/102/2019-BE-II-Part(1)(E- 50310) dated:4/03/2021 issued by Ministry of Commerce and Industry, DPIIT.

स्व-घोषणा प्रमाणपत्र में केवल प्रस्तावित उत्पाद की स्थानीय सामग्री का प्रतिशत ही दर्शाया जाना चाहिए। इसमें स्थान का भी संकेत होना चाहिए। हालांकि, परिवहन, बीमा, स्थापना और कमीशनिंग, प्रशिक्षण और बिक्री के बाद सेवा समर्थन जैसे एएमसी/सीएमसी आदि जैसी सेवाओं का दावा करना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी द्वारा जारी दिनांक 4/03/2021 के ओएम एन.पी.45021/102/2019-बीई-II-भाग (1) (ई-50310) के अनुसार स्थानीय सामग्री के रूप में नहीं माना जाएगा।

- vii. False declarations/violation of this order terms shall be deemed to be breach of code of integrity resulting in debarment of the firm for a period up to 2 years. Under such circumstances, the supplier shall not be considered for any preferences as proposed in the order.

इस आदेश की शर्तों का गलत विवरण/उल्लंघन करना सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, आपूर्तिकर्ता को आदेश में प्रस्तावित किसी भी वरीयता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- viii. Wherever the bids are received without accompanying the above said requisite certificate such offers shall be treated as incomplete and not considered.

जहां कहीं भी बोलियां उपर्युक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र के बिना प्राप्त होती हैं, ऐसे प्रस्तावों को अपूर्ण माना जाएगा तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ix. Bidders/contractor are divided into three categories based on Local Content (The total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value, in percent):

बोलीदाताओं/ठेकेदारों को स्थानीय सामग्री (खरीदी गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) में से वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्कों सहित) घटाकर कुल मूल्य का प्रतिशत) के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. Class-I local supplier is with local content equal to or more than as prescribed by the Nodal Ministry/ NIT, if prescribed, for the item being procured or 50% whichever is higher.

श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता में स्थानीय सामग्री नोडल मंत्रालय/एनआईटी द्वारा निर्धारित, यदि निर्धारित हो, खरीदी जा रही वस्तु के लिए बराबर या उससे अधिक या 50%, जो भी अधिक हो, होती है।

2. Class-II Local supplier is with local content equal to or more than as prescribed by the Nodal Ministry/NIT, if prescribed, for the item being procured or 20% whichever is higher, but less than that applicable for class-I local supplier.

श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता में स्थानीय सामग्री नोडल मंत्रालय/एनआईटी द्वारा निर्धारित, यदि निर्धारित हो, खरीदी जा रही वस्तु के लिए या 20% जो भी अधिक हो, के बराबर या उससे अधिक होती है, लेकिन श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए लागू सामग्री से कम होती है।

3. Non-local supplier is with local content less than that applicable to class-II local supplier, as stated above.

गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता के पास स्थानीय सामग्री वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए लागू सामग्री से कम है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

**Note:** Where the estimated value of the procurement is less than Rs.5 Lakhs (or as being amended by the competent authority from time to time) is exempted from the provisions of the above Make in India policy as stated therein the order.

नोट: जहां खरीद का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपये से कम है (या समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया जा रहा है) तो उसे आदेश में उल्लिखित मेक इन इंडिया नीति के प्रावधानों से छूट दी गई है।

Self-certification under preference to “Make in India” order **as per Annexure-VIII** should be submitted along with Tender document.

निविदा दस्तावेज के साथ अनुलग्नक-I के अनुसार “मेक इन इंडिया” आदेश को प्राथमिकता देने के लिए स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## 2. ELIGIBILITY OF BIDDERS FROM SPECIFIED COUNTRIES:

- i. Orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India shall apply to this procurement.

भारत सरकार द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले कुछ देशों के बोलीदाताओं से खरीद को प्रतिबंधित करने के आदेश इस खरीद पर लागू होंगे।

- ii. Any bidder from a country which shares a land border with India (<https://mea.gov.in/india-and-neighbours.htm>), excluding countries as listed in the website of Ministry of External Affairs (<https://meadashbaord.gov.in/indicators/92>), to which the Government of India has extended lines of credit or in which the Government of India is engaged in development projects – hereinafter called “Restricted countries”) shall be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered (<https://dipp.gov.in/sites/default/files/Revised-Application-Format-for-Registration-of-Bidders-15Oct2020.pdf>) with the Registration committee constituted by the Department for promotion of Industry and Internal Trade(DPIIT). The bidders shall enclose valid registration certificate along with their offer. Wherever the bids are received without accompanying the above said requisite certificate such offers shall be treated as

incomplete and not considered.

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश (<https://mea.gov.in/india-and-neighnours.htm>) का कोई भी बोलीदाता, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (<https://meadashbaord.gov.in/indicators/92>) में सूचीबद्ध देशों को छोड़कर, जिसके लिए भारत सरकार ने ऋण की लाइनें बढ़ाई हैं या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है - जिसे आगे "प्रतिबंधित देश" कहा जाता है) इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो (<https://dipp.gov.in/sites/default/files/Revised-Application-Format-for-Registration-of-Bidders-15Oct2020.pdf>)। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव के साथ वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव के साथ वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

#### Additional Clause:

I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।

II. "Bidder" (including the term 'tenderer', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.

"बोलीदाता" (जिसमें कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता' या 'सेवा प्रदाता' शब्द शामिल हैं) का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें किसी संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों, या फर्मों या कंपनियों का संघ है) का कोई भी सदस्य शामिल है, प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पहले बताए गए बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता है, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कार्यालय शामिल हैं, जो खरीद प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

III. "Bidder from a country which shares a land border with India" for the purpose of this Order means:-

- a. An entity incorporated, established or registered in such a country; or
- b. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
- c. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
- d. An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
- e. An Indian (or other) agent of such an entity; or
- f. A natural person who is a citizen of such a country; or
- g. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above.

इस आदेश के प्रयोजन के लिए "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले" का अर्थ है:-

- a. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या
- b. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई की सहायक कंपनी; या
- c. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाइयों के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित इकाई; या
- d. ऐसी इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या

- e. ऐसी इकाई का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- f. ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
- g. ऐसा संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under :

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति होता है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, नियंत्रण स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

Explanation –

- a. “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five percent. Of shares or capital or profits of the company.
  - b. “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;
2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;  
साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से साझेदारी की पूंजी या मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व या हकदारी रखता है;
3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;  
किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व या हकदारी रखता है;
4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;  
जहां उपरोक्त (1) या (2) या (3) के तहत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है;
5. In case of trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.  
ट्रस्ट के मामले में, लाभकारी स्वामी (स्वामियों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

- V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.

एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए, या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लेन-देन में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है।

VI. (To be inserted in tenders for Works contracts, including Turnkey contracts). The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the competent Authority.

(टर्नकी अनुबंधों सहित निर्माण अनुबंधों के लिए निविदाओं में सम्मिलित किया जाएगा) सफल बोलीदाता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश के किसी भी ठेकेदार को उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो।

Self-certification under **ELIGIBILITY DECLARATIONS FROM SPECIFIED COUNTRIES** order as per **Annexure-VII** should be submitted along with Tender document.

निविदा दस्तावेज के साथ अनुलग्नक-VII के अनुसार निर्दिष्ट देशों से पात्रता घोषणा के तहत स्व-प्रमाणन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Contractor's signature and seal

Date:

## भाग-सी: आवश्यकताएँ और पात्रता मानदंड

### PART-C: REQUIREMENTS AND ELIGIBILITY CRITERIA

निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे। संयुक्त उद्यम के रूप में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।

The Applicant, who fulfill the following requirements on their own, shall only be eligible to apply. Joint ventures are not accepted.

#### 1.0 नामांकन के लिए पात्रता मानदंड

आईपीआर में एक ठेकेदार के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदक की स्थिति निम्नलिखित में से एक हो सकती है :

- (अ) एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, और
- (आ) एकल स्वामित्व
- (इ) साझेदारी फर्म
- (ई) सीमित देयता भागीदारी
- (उ) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- (ऊ) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

- 1.1 ऐसा कोई भी व्यक्ति या फर्म सूचीबद्धता के लिए हकदार नहीं होगा जो सीमित देयता भागीदारी, निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का कोई भागीदार या निदेशक है, या जो एक बर्खास्त सरकारी कर्मचारी है; या सूचीबद्धता के निचले वर्ग में पदावनत; या सूचीबद्धता से हटा दिया गया है; या पूर्व में किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या स्वायत्त निकाय द्वारा प्रतिबंधित किए गए नामांकन के रूप में है; या कानूनन अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। हालाँकि ऐसी स्थिति में सूचीबद्धता पर विचार किया जा सकता है जहाँ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठेकेदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और ऐसी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
- 1.2 भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के किसी भी इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत किसी भी इंजीनियर या किसी अन्य अधिकारी को एक अवधि के लिए एक ठेकेदार के रूप में या एक ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद तक आईपीआर में काम करने की अनुमति नहीं है अथवा जब तक कि उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने नियोक्ता/ सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की हो।
- 1.3 ठेकेदार जो ऊपर उल्लिखित मानदंड संख्या 1.0, 1.1 और 1.2 के अनुसार पात्र हैं, उन्हें नामांकन के लिए आवेदन के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे।

#### 1.0 Eligibility Criteria for Enlistment

The status of an applicant for enlistment as a contractor in IPR may be one of the following.

- (a) An individual, who is a citizen of India and
- (b) Sole proprietorship
- (c) Partnership firm
- (d) Limited liability partnership
- (e) Private limited company
- (f) Public limited company

**1.1** No individual or firm, limited liability partnership, private or public limited company having such individual as one of its partners or directors, who is a dismissed government servant; or demoted to a lower class of enlistment; or removed from the enlistment; or having Enlistment banned by any government department or public sector undertaking or local body or autonomous body in the past; or convicted by a court of law, shall be entitled for enlistment. However, enlistment may be considered where disciplinary action was taken against the contractor for a specified period and such period is already over.

**1.2** No engineer or any other official employed in engineering or administrative duties in any engineering department of the Government of India/State Government /Central and State PSUs is allowed to work in IPR either as a contractor or as an employee of a contractor for a period of

one year after his retirement from service unless he/she has obtained prior permission of his employer Government to do so.

**1.3** Contractor who is eligible for criteria no 1.0, 1.1 and 1.2 mentioned above, have to submit the documents along with Application for Enlistment.

## 2.0 कार्य अनुभव

- 2.1 कार्य अनुभव के मानदंडों में पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों, भवनों का विध्युत कार्य /मूल कार्यों/नवीनीकरण कार्यों/अतिरिक्त कार्यों/परिवर्तन/स्वतंत्र अनुबंध के आधार पर किए गए विध्युत कार्य शामिल हैं (श्रम दर अनुबंधों पर निष्पादित कार्य इनमें शामिल नहीं होंगे)। पिछले 7 वर्षों के दौरान निष्पादित कार्यों के मूल्य को कार्य की वास्तविक लागत को 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ाकर वर्तमान मूल्य पर लाया जाएगा, जिसकी गणना कार्य के पूरा होने की तिथि से आवेदन जमा करने की तिथि तक की जाएगी। कार्यों को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, उसी नाम और शैली में निष्पादित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक द्वारा सूचीबद्धता की मांग की गई है, जैसा कि इन नियमों में उल्लिखित है।
- 2.2 बैंक-टू-बैंक अनुबंध के आधार पर कार्य निष्पादित करके प्राप्त अनुभव स्वीकार्य है। बैंक-टू-बैंक अनुबंध का अर्थ है - मालिक द्वारा पहली एजेंसी को और फिर पहली एजेंसी द्वारा दूसरी एजेंसी को दिया गया कार्य। अनुभव का वेटेज मार्क्स प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- (क) कार्य वास्तव में दूसरी एजेंसी द्वारा मालिक की सहमति के साथ त्रिपक्षीय समझौते के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। यह वैध समझौते और अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- (ख) दूसरी एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान बैंक खातों और आयकर विवरणों में परिलक्षित होना चाहिए।
- (ग) परियोजना के मालिक और पहली एजेंसी को संयुक्त रूप से अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित करना चाहिए।
- 2.3 एक छोटे ठेकेदार, श्रम दर ठेकेदार के रूप में किए गए कार्य का अनुभव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.4 इन नियमों के प्रयोजन के लिए एक सहयोगी ठेकेदार, उप-ठेकेदार या सबलेटिंग पर काम करने वालों के संबंध में अनुभव की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब ग्राहक/मालिक और पहली एजेंसी और अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से पहली एजेंसी और मालिक / ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है।
- 2.5 विदेशी धरती पर किए गए कार्य का अनुभव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.6 आवेदक को अनुलग्नक-III में पूर्ण किए गए कार्यों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। उसे अनुलग्नक-III में उल्लिखित कार्यों हेतु जारी किए गए पत्र / कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

## 2.0 Work experience

- 2.1** The criterion for work experience shall be of completed works, Electrical works for buildings/original works/Renovation works/additions/ alternations/ up gradation executed on independent contract basis during the last seven years (works executed on labour rate contracts will not be considered).The value of works executed during the last 7 years shall be brought to current value by enhancing the actual cost of work at simple rate of 7% per annum, calculated from the date of completion of work to the date of submission of application. The works should have been executed in the same name and style in which the enlistment is sought by the applicant, except under special circumstances as stated in these rules separately.
- 2.2** Experience gained by executing work on back-to-back contract basis is acceptable. Back-to-back contract means work awarded by owner to first agency and then by the first agency to the second agency. To get the weightage of experience, following conditions must be fulfilled.
- (a) Work should be actually executed by the second agency with due concurrence of the owner as tripartite agreement. It should be backed by valid agreement and experience certificate.
- (b) Payments received by second agency should be reflected in bank accounts and income tax statements.
- (c) Owner of the project and first agency should jointly certify the experience certificate.
- 2.3** Experience of a petty contractor, labour rate contractor, work shall not be accepted
- 2.4** Experience for the purpose of these rules in respect of an associate contractor, sub-contractor or those executing work on subletting may be allowed only if the conditions of sub-contract / sub-

letting have been incorporated in the original agreement between the client/owner and first agency and the experience certificate is jointly issued by first agency and owner/client.

**2.5** Experience of works on foreign soil shall not be accepted.

**2.6** The applicant shall furnish the list of completed works in Annexure-III. He/she shall also furnish award letters / work order and Completion certificates of the works mentioned in Annexure-III.

### 3.0 वित्तीय सुदृढ़ता

3.1 औसत वार्षिक कारोबार प्रमाणपत्र अनुलग्नक V-2 में निर्धारित प्रारूप में होगा। यह प्रमाणपत्र प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा उनके लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित रूप में जारी किया जाएगा। प्रासंगिक वर्ष आवेदन के कैलेंडर वर्ष से पहले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा या पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को यदि लेखापरीक्षित बैलेंसशीट जमा की जाती है। वार्षिक टर्नओवर के आँकड़ों का मूल्य वास्तविक टर्नओवर के आँकड़ों को 7% प्रति वर्ष की साधारण दर पर बढ़ाकर वर्तमान मूल्य पर लाया जाएगा।

दृष्टांत 1 : आवेदन की तिथि ००.००.२०२५ है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की अलेखापरीक्षित बैलेंस शीट है। टर्नओवर का प्रासंगिक वर्ष २०२३-२४, २०२२-२३, २०२१-२२ होगा। २०२१-२२ के टर्नओवर के आँकड़ों में १४% की बढ़ोतरी की जाएगी। २०२२-२३ के टर्नओवर के आँकड़ों में ७% की बढ़ोतरी की जाएगी। २०२३-२४ के टर्नओवर के आँकड़े नहीं बढ़ाए जाएँगे।

3.2 बैंकर प्रमाणपत्र अनुसूचित बैंक द्वारा अपने लेटर हेड पर अनुलग्नक V-I में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा और नामांकन के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

3.3 नामांकन रद्द करना

निम्नलिखित में से कोई भी तथ्य किसी भी जाँच द्वारा सत्यापित होने पर ठेकेदार का नाम सूची से हटा दिया जा सकता है :

(अ) एक अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहता है या इसे असंतोषजनक रूप से निष्पादित या निष्पादित करता है; या

(आ) अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है; या

(इ) सूचीकर्ता की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है,

(ई) सूचीबद्धता के समय गलत विवरण दिया गया पाया जाता है; या

(उ) किसी भी प्रकार के जालसाजी या रिकॉर्ड के मिथ्याकरण में लिप्त है; या

(ऊ) संस्थान के पूर्वानुमोदन के बिना फर्म के गठन में परिवर्तन; या

(ए) संस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्था का नाम बदलता है; या

(ऐ) संस्थान को सूचित किए बिना स्थायी पता/सूचीबद्ध पता बदल देता है; या

(ओ) दिवालिया, दिवालियापन, परिसमापन, विघटित या विभाजित घोषित किया गया है या घोषित होने की प्रक्रिया में है; या

(औ) श्रम नियमों और नियमों का उल्लंघन करता है; या

(क) किसी भी स्रोत से प्राप्त गंभीर प्रकृति की शिकायतों में शामिल है, जो साबित हो गई हैं; या

(ख) आयकर, जीएसटी, आदि जैसे कर बकाया के निपटान में चूक; या

(ग) जिसके आधार पर नामांकन किया गया था, उन पात्रता मानदंड को अब पूरा नहीं करता; या

(घ) संस्थान द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से सिविल ठेकेदारों की सूची से निकालना; या

(च) उसे कार्य सौंपे जाने के बाद वह कार्य निष्पादित नहीं करता है; या

(छ) निर्माण/संरचनात्मक दोषों को 2 महीने से अधिक के उचित समय के भीतर सुधारने में विफल रहता है, जो कि कार्य पूरा होने की तारीख से 1 वर्ष की दोष देयता अवधि के दौरान इंगित किया गया है।

### 3.0 Financial Soundness

3.1 Average Annual Turnover Certificate shall be in the format prescribed in Annexure V-2. This certificate shall be duly signed and issued by the certified Chartered Accountants on their letterhead. The relevant year shall be the financial year ending on 31st March of the year preceding the calendar year of application or 31st March of last financial year if audited balance sheet is submitted. The value of annual turnover figures shall be brought to current value by enhancing the actual turnover figures at simple rate of 7% per annum.



*Illustration 1:* Date of application is 00.00.2025 with audited balance sheet of last financial year available. Relevant year of turnover shall be 2023-24, 2022-23, 2021-22. Figures of turnover of 2023-24 shall not be enhanced. Figures of turnover of 2022-23 shall be enhanced by 7%. Figures of turnover of 2021-22 shall be enhanced by 14%.

3.2 Banker's Certificate shall be issued by a Scheduled Bank on its letter head in the format prescribed in Annexure V-1, and shall be attached along with application for Enlistment.

### 3.3 Cancellation of enlistment

The enlistment of contractor may be cancelled if any of the following is established by enquiry:

- (a) fails to execute a contract or executes or executed it unsatisfactorily; or
- (b) violates any conditions of the contract; or
- (c) fails to abide by the conditions of enlistment or
- (d) is found to have given false particulars at the time of enlistment; or
- (e) has indulged in any type of forgery or falsification of records; or
- (f) changes constitution of the firm without the prior approval of the Institute; or
- (g) changes the name of the entity without the prior approval of the Institute; or
- (h) changes permanent address/ Enlistment address without intimation to the Institute; or
- (i) is declared or is in the process of being declared bankrupt, insolvent, wound up, dissolved or partitioned; or
- (j) violates the labour regulations and rules; or
- (k) is involved in complaints of serious nature received from any source, which have been proved; or
- (l) defaults in settlement of tax dues like income tax, GST, etc.; or
- (m) ceases to fulfill eligibility criteria based on which enlistment was done; or
- (n) is considered as not required to be in list of Enlistment of contractors for any other reason considered fit by the Institute; or
- (o) does not execute the work after the same is awarded to him ; or
- (p) Fails to rectify construction/structural defects within a reasonable time not exceeding 2 months, pointed out during the defect liability period of 1 year from the date of completion of works.

### 4.0 फर्म का नामांकन निलम्बित करना

जब भी दुर्व्यवहार करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने, झूठी शिकायतें करने, तुच्छ कारणों से कानूनी मुकदमा दायर करने, या किसी व्यावहारिक कृत्य, चूक या कमीशन से संबंधित विभाग/अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाली रिपोर्ट, या क्रमांक 3.3 (ए) से (क्यू) तक की सूची में उल्लिखित किसी अन्य प्रकार की शिकायत करने, सूचीबद्ध ठेकेदार द्वारा पात्रता की अवधि के दौरान बोली को वापस लेने या संशोधित करने या निविदा खोलने के बाद पीजी जमा करने में विफल रहने तथा एक सूचीबद्ध ठेकेदार के खिलाफ संस्थान (संस्थान का मतलब प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान) के किसी भी अधिकारी के पास शिकायत प्राप्त होती है तो इसे संस्थान द्वारा गंभीर माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में संस्थान द्वारा उन्हें उपयुक्त कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, और उसके बाद आरोपों की पूरी जाँच होने तक संस्थान द्वारा, जैसा भी उचित हो, नामांकन के स्थगन की कार्रवाई की जा सकती है।

यदि जाँच पूरी नहीं होती है और इस अवधि के भीतर संस्थान द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निलंबन की तारीख से 6 महीने के अंत में फर्म का निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

संस्थान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठेकेदार के साथ नामांकन के निलंबन के लिए आदेश जारी करेगा (सूचीबद्धता की शेष अवधि से अधिक नहीं और सूचीबद्धता की शेष अवधि के 25% से कम नहीं) यदि कोई आरोप अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जाँच पर स्थापित किया जाता है तथापि, क्रम संख्या 3.1 (ए) से (क्यू) में सूचीबद्ध शिकायतों के लिए, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जाँच पर आरोपों के

सिद्ध होने के बाद कोई स्थगन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ठेकेदार की सूचीबद्धता नियम 3.3 के अनुसार रद्द कर दी जाएगी। नामांकन के निलंबन से निलंबन की अवधि के दौरान निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और कार्यों के लिए ठेका देने पर प्रतिबंध लगेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ठेकेदार सूचीबद्धता के निलंबन की तारीख से पहले प्राप्त निविदाओं में सबसे कम था, तो उसे काम नहीं दिया जाएगा, और निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। हालाँकि, चालू अनुबंध इस स्थगन से अप्रभावित रहेंगे।

#### 4.0 Suspension of firm from enlistment

Whenever report related to misbehaviour, direct or indirect involvement in threatening, making false complaints, filing legal suites for frivolous reasons, or any behavioural act, omission or commission damaging the reputation of department/officer, or any other type of complaint listed at Sl. No 3.3 (a) to (p) contractor withdraws or modifies bid during the period of eligibility or fails to deposit PG after opening of tender, is received from any officer of Institute (Institute means Institute for plasma research) against an enlisted contractor and is considered serious by the Institute, he/she shall be served with suitable show cause notice by the Institute, and thereafter action for suspension of Enlistment may be taken by the Institute, as deemed fit, pending full enquiry into the allegations.

The suspension of firm from Enlistment shall automatically lapse at the end of 6 months from the date of suspension if the enquiry is not completed and final decision is not taken by the Institute within this period.

The Institute shall issue order for further suspension of Enlistment with the contractor for a specified period (not exceeding the remaining period of enlistment and not less than 25% of the remaining period of enlistment) if any of the charges are established on enquiry by the Empowered Committee, however, for complaints listed at S. No. 3.1 (a) to (q), there shall be no suspension post establishment of charges upon enquiry by the Empowered Committee and under such eventuality the enlistment of the contractor shall be cancelled as per Rule 3.3. The suspension of Enlistment would entail ban on participation in the tendering process and award of contract for works during the period of suspension. It is made clear that if the contractor stood lowest in tenders received prior to the date of suspension of Enlistment, the work shall not be awarded to him, and the tenders shall be rejected and re-invited. Running contracts shall, though, remain unaffected by this suspension.

#### 5.0 संस्थान में कार्यरत ठेकेदार के निकट संबंधी

जिन ठेकेदारों के निकट संबंधी संस्थान में किसी भी हैसियत से कार्यरत हैं, उन्हें कार्यों के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम के इस प्रयोजन के लिए, एक निकट संबंधी का अर्थ पत्नी, पति, माता-पिता, दादा-दादी, बच्चे, पोते, भाई, बहन, चाचा, मौसी, चचेरे भाई और उनके ससुराल पक्ष से होगा।

#### 5.0 Contractor's near relatives working in Institute

The contractors whose near relatives are employed in any capacity in the Institute will not be allowed to tender for works. For this purpose of this Rule, a near relative shall mean wife, husband, parents, grandparents, children, grandchildren, brothers, sisters, uncles, aunts, cousins and their corresponding in-laws.

#### 6.0 विनिर्दिष्ट देशों के बोलीदाताओं की पात्रता:

अ) भारत के सीमावर्ती कुछ देशों के बोलीदाताओं से बोली को प्रतिबंधित करने वाले भारत सरकार द्वारा जारी आदेश इस पर लागू होंगे।

आ) विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (<https://meadashbaord>) पर सूचीबद्ध देशों को छोड़कर भारत के सीमावर्ती देश से कोई भी बोलीदाता (<https://mea.gov.in/india-and-neighbours.htm>), जिसके लिए भारत सरकार ने क्रेडिट की सीमा बढ़ा दी है या भारत सरकार जिनकी विकास परियोजनाओं में लगी हुई है - जिसे इसके बाद 'प्रतिबंधित देश' कहा जाता है, वे केवल इस निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे बोलीदाता औद्योगिक और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति (<https://dipp.gov.in/sites/default/files/Revised-Application-Format-for-Registration-of-Bidders-15Oct2020.pdf>) के साथ पंजीकृत हैं। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जहाँ कहीं भी उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण पत्र के बिना बोली प्राप्त होती है तो ऐसे प्रस्तावों को अपूर्ण माना जाएगा और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अन्य उपबंध :

- I. भारत के सीमावर्ती देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।
- II. 'बोली लगाने वाला' (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'सलाहकार' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का संघ है, या फर्म या कंपनियाँ), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता है, जिसमें किसी भी एजेंसी की शाखा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कार्यालय शामिल है, जो एक खरीद प्रक्रिया में भाग ले रहा है।
- III. इस आदेश के प्रयोजन हेतु 'एक देश से बोली लगाने वाला जो भारत का सीमावर्ती है' का अर्थ है: -
  - (अ) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या
  - आ) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या
  - इ) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
  - ई) एक इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
  - उ) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
  - ऊ) एक प्राकृतिक मूल व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
  - ए) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहाँ संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।
- IV. उपरोक्त (iii) के प्रयोजन के लिए लाभार्थी स्वामी निम्नानुसार होगा:
  1. एक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक मूल व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य के माध्यम से नियंत्रण रखता है।

व्याख्या -

अ) स्वामित्व हित को नियंत्रित करना' का अर्थ कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है।

आ) नियंत्रण' में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं;
  2. एक साझेदारी फर्म के मामले में, लाभार्थी स्वामी वह प्राकृतिक मूल व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पूंजी या मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी का स्वामित्व रखता है;
  3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक मूल व्यक्ति (व्यक्तियों) है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी का स्वामित्व रखता है। ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ;
  4. जहाँ ऊपर (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक मूल व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभार्थी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक मूल व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है;
  5. ट्रस्ट के मामले में, लाभार्थी स्वामी (मियों) की पहचान में ट्रस्ट का मुखिया, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या अधिक इंस्ट्रुमेंट वाले लाभार्थियों और किसी भी अन्य प्राकृतिक मूल व्यक्ति की पहचान शामिल होगी, जो नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वास के तहत अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं।

6. एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है।
7. (टर्नकी अनुबंधों सहित कार्य अनुबंधों हेतु निविदाओं में सम्मिलित किया जाना)। सफल बोलीदाता को भारत के सीमावर्ती देश के किसी भी ठेकेदार को उप-ठेके पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो।

अनुबंध-VII के अनुसार निर्दिष्ट देशों से पात्रता घोषणाओं के तहत स्व-प्रमाणन निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर  
दिनांक :

## **6.0 ELIGIBILITY OF BIDDERS FROM SPECIFIED COUNTRIES:**

- i. Orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India shall apply to this procurement.
- ii. Any bidder from a country which shares a land border with India (<https://mea.gov.in/india-and-neighbours.htm>), excluding countries as listed in the website of Ministry of External Affairs (<https://meadashbaord.gov.in/indicators/92>), to which the Government of India has extended lines of credit or in which the Government of India is engaged in development projects – hereinafter called “Restricted countries”) shall be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered (<https://dipp.gov.in/sites/default/files/Revised-Application-Format-for-Registration-of-Bidders-15Oct2020.pdf>) with the Registration committee constituted by the Department for promotion of Industry and Internal Trade(DPIIT). The bidders shall enclose valid registration certificate along with their offer. Wherever the bids are received without accompanying the above said requisite certificate such offers shall be treated as incomplete and not considered.

### **Additional Clause:**

- iii. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.
- iv. “Bidder” (including the term ‘tenderer’, ‘consultant’ or ‘service provider’ in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.
- v. “Bidder from a country which shares a land border with India” for the purpose of this Order means:-
  - i. An entity incorporated, established or registered in such a country; or
  - ii. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
  - iii. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
  - iv. An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
  - v. An Indian (or other) agent of such an entity; or

- vi. A natural person who is a citizen of such a country; or
- vii. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above.

vi. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under :

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation –

- a. “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five percent. of shares or capital or profits of the company.
  - b. “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;
2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;
  3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;
  4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;
  5. In case of trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
6. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.
  7. (To be inserted in tenders for Works contracts, including Turnkey contracts). The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the competent Authority.

Self-certification under ELIGIBILITY DECLARATIONS FROM SPECIFIED COUNTRIES order as per Annexure-VII should be submitted along with Tender document.

Contractor’s signature and seal  
Date:

**TABLE-I- Eligibility Criteria**

Sr. No.	<p><b>Eligibility Criteria for Electrical works Up to ₹ 10 Lacs</b>                      ₹ 10 लाख तक के विद्युत कार्यों के लिए पात्रता मानदंड</p>	<p><b>Documentary proof for the eligibility (To be uploaded)</b>                      पात्रता के लिए दस्तावेजी प्रमाण (अपलोड किया जाना है)                      Note: The applicants are requested to fill up the facts &amp; figure in the prescribed format. Simply filling like Yes or No shall not be accepted.                      नोट: आवेदकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में तथ्य और आंकड़े भरें। केवल हां या नहीं भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
1.	<p>Should have satisfactorily completed similar works during the last seven years ending last day of the month previous to the one in which applications are invited, of value as below</p> <p>(i) Three similar works each costing not less than ₹ 4 Lakhs or</p> <p>(ii) Two similar works each costing not less than ₹ 6 Lakhs or</p> <p>(iii) One similar work costing not less than ₹ 8 Lakhs.</p> <p>Note:-</p> <p>1. Similar work shall means Electrical works (Internal and External) for buildings/original works/ Renovation works / additions/ alternations/ up gradation</p> <p>2. The value of works executed during the last 7 years shall be brought to current value by enhancing the actual cost of work at simple rate of 7% per annum.</p> <p>आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन तक पिछले सात वर्षों के दौरान संतोषजनक ढंग से समान कार्य पूरा किया जाना चाहिए, जिसका मूल्य नीचे दिया गया है</p> <p>(i) तीन समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹ 4 लाख से कम न हो या</p> <p>(ii) दो समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹ 6 लाख से कम न हो या</p> <p>(iii) एक समान कार्य जिसकी लागत ₹ 8 लाख से कम न हो।</p> <p>नोट:-</p> <p>1. समान कार्य का अर्थ होगा भवनों के लिए विद्युत कार्य/मूल कार्य/नवीनीकरण कार्य/परिवर्धन/परिवर्तन/उन्नयन</p> <p>2. पिछले 7 वर्षों के दौरान निष्पादित कार्यों का मूल्य 7% प्रति</p>	<p>Award letter / Work orders and Completion certificates issued by the authority concerned संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड पत्र / कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र</p> <p>Documentary Proof:</p> <p>Work Orders &amp; Completion certificate for qualifying completed work(s) issued by Engineer-in-Charge or Owner should be attached.</p> <p>प्रभारी इंजीनियर या मालिक द्वारा जारी किए गए अर्हता प्राप्त पूर्ण किए गए कार्य के लिए कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।</p> <p>Completion certificates for works issued by Private parties shall be supported by TDS (Tax deducted at Source) Certificates.</p> <p>निजी पार्टियों द्वारा जारी कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित होंगे।</p>

	वर्ष की साधारण दर से कार्य की वास्तविक लागत में वृद्धि करके वर्तमान मूल्य पर लाया जाएगा।	
2.	Should have had average annual turnover of ₹ 3 Lakhs on electrical work during the last three consecutive years ending 31 <sup>st</sup> March of the relevant year as mentioned in Rule 3.1. नियम 3.1 में उल्लिखित अनुसार, प्रासंगिक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन लगातार वर्षों के दौरान विद्युत कार्य पर औसत वार्षिक कारोबार ₹ 3 लाख होना चाहिए।	Annexure –V-2: Form of certificate of annual turnover on works from chartered accountant. <b>Note:</b> Balance sheet duly audited by chartered accountant to be submitted. अनुलग्नक-V-2: चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त कार्यों पर वार्षिक टर्नओवर के प्रमाण पत्र का प्रारूप। नोट: चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट की गई बैलेंस शीट प्रस्तुत की जानी है।
3	Should not have incurred any loss (profit after tax should be positive) in more than two years during the last five consecutive years ending on 31 <sup>st</sup> March of the relevant year as mentioned in Rule 3.1. नियम 3.1 में उल्लिखित अनुसार, प्रासंगिक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले पांच लगातार वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक में कोई हानि (कर के बाद लाभ सकारात्मक होना चाहिए) नहीं होनी चाहिए।	Annexure –V-2: Form of certificate of annual turnover on works from chartered accountant showing Profit & Loss as submitted to Income Tax Department. <b>Note:</b> Balance sheet duly audited by chartered accountant to be submitted. अनुलग्नक-V-2: आयकर विभाग को प्रस्तुत किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त वार्षिक टर्नओवर के प्रमाण पत्र का प्रारूप, जिसमें लाभ और हानि दर्शाई गई हो। नोट: चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट की गई बैलेंस शीट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4.	Should have minimum solvency of ₹ 4 Lacs issued by Bank. बैंक द्वारा जारी न्यूनतम सॉल्वेंसी ₹ 4 लाख होनी चाहिए।	Annexure “V-1”- Form of Bankers Certificate from a Bank अनुलग्नक "V-1" - बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र का फॉर्म
5.	Should have valid Electrical Contractor license issued by concerned Authority of Government. संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस होना चाहिए।	Valid Electrical Contractor license issued by concerned authority of Government to be submitted. संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

The Contractors who are found eligible for Enlistment by the Institute, will have to submit Earnest Money deposit as per the Instructions specified in the each Tender Document during submission of Bid.

संस्थान द्वारा सूचीबद्धता के लिए पात्र पाए जाने वाले ठेकेदारों को बोली प्रस्तुत करते समय प्रत्येक निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बयाना राशि जमा करनी होगी।

The Contractors who are found eligible for Enlistment by the Institute, must enroll their firm on Central public procurement portal (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) for filling the tender and follow all the terms and conditions including registration fees etc. if any and submit enrolment number of firm on CPP portal.

जो ठेकेदार संस्थान द्वारा नामांकन के लिए पात्र पाए जाते हैं, उन्हें निविदा भरने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) पर अपनी फर्म को नामांकित करना होगा और पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा और सीपीपी पोर्टल पर फर्म की नामांकन संख्या प्रस्तुत करनी होगी।

The Director, IPR reserves the right to accept/reject the Application for Enlistment or to cancel the notice in to without assigning any reason thereof.

निदेशक, आईपीआर को बिना कोई कारण बताए नामांकन के लिए आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने या नोटिस को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

भाग- डी: दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड किया जाना चाहिए।

#### **PART- D: DOCUMENTS TO BE SCANNED & UPLOADED**

इच्छुक एजेंसियों को बोली जमा करने की अवधि के भीतर निम्नलिखित सूचियों के अनुसार दस्तावेजों को स्कैन / भरना और अपलोड करना आवश्यक है। यदि बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो बोलीदाता को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा:

The interested agencies are required to scan / fill in and upload the documents as per following lists within the period of bid submission. In case the required documents are not uploaded by the bidders, the bidder will be summarily disqualified:

1	Annexure-I, Application for Enlistment for Electrical works at IPR campus
2	Annexure-II , List of Documents Attached for Enlistment
3	Annexure-III , Details of completed works: Eligible works completed during the last seven years
4	Annexure-IV , Mandate form
5	Annexure-V , Undertaking to be furnished by Bidders
6	Annexure-VI, Letter of Transmittal
7	Annexure-VII, <u>Annexure to Bid Form: Eligibility Declaration</u>
8	Annexure-VIII, <u>Self-Certification under preference to Make in India order Certificate</u>
9	Annexure-V- 1. Form Of Banker's Certificate From Scheduled Bank
10	Annexure-V- 2. Form of Certificate of Annual Turnover on works from Chartered Accountant
11	PAN (Permanent Account Number) Registration / TAN Registration details
12	GST Registration Certificate
13	Copy of MSME certificate (if registered with MSME)
14	Proof of enrolment in CPP portal
15	Valid Electrical contractor License
16	Memorandum of Registration
17	Additional documents if any to meet the eligibility criteria.
Note : Scanned copy of original certificates to be uploaded as per the specified format	



## अनुलग्नक- I

### आईपीआर परिसर में विद्युत कार्यों के लिए नामांकन हेतु आवेदन

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न सहायक दस्तावेज अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध होने चाहिए)

1. (अ) आवेदक का नाम .....
- (आ) एंटीटी की स्थिति (व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामित्व/साझेदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कंपनी)
- (इ) फर्म की पंजीकरण संख्या (एलएलपी के लिए एलएलपीआईएन और कंपनी के लिए सीआईएन) .....
- (ई) सीपीपी पोर्टल पर फर्म की नामांकन संख्या .....
2. राष्ट्रीयता.....
3. पता  
(अ) पंजीकृत कार्यालय .....
- (आ) प्रधान कार्यालय (यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो) .....
4. संपर्क विवरण  
(अ) टेलीफोन नंबर .....
- (आ) फैक्स नंबर (यदि कोई हो) .....
- (इ) मोबाइल नंबर.....
- (ई) वेबसाइट यूआरएल (यदि कोई हो) .....
- .....
- (उ) ईमेल आईडी .....
- .....
5. (अ) पैन (व्यक्तिगत / फर्म / एलएलपी / कंपनी) .....
- (आ) जीएसटी पंजीकरण संख्या .....
6. नाम, पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ फोटो और व्यक्ति/साझेदार/निदेशक के हस्ताक्षर (फोटो का आकार 2.5 x 3.5 सेमी होना चाहिए जिसमें सफेद पृष्ठभूमि और नीचे नाम मुद्रित रूप में होना चाहिए)

क्र.सं.	नाम	फोटो	हस्ताक्षर

7. क्या कंपनी का व्यक्ति/एकमात्र मालिक/कोई भागीदार/निदेशक है :  
(अ) बर्खास्त सरकारी कर्मचारी : हाँ ..... नहीं .....  
(आ) ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाया गया: हाँ ..... नहीं .....  
(इ) ठेकेदारों के निचले वर्ग को पदावनत : हाँ ..... नहीं .....  
(ई) अतीत में किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित : हाँ ..... नहीं .....  
(उ) कानूनन अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया : हाँ ..... नहीं .....  
(ऊ) विगत एक वर्ष में भारत सरकार के इंजीनियरिंग विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर / अधिकारी : हाँ ..... नहीं .....  
(ए) संस्थान में सूचीबद्ध किसी अन्य कंपनी/फर्म या किसी अन्य संगठन के निदेशक या भागीदार : हाँ ..... नहीं .....  
(ऐ) संसद सदस्य या कोई राज्य विधान सभा सदस्य : हाँ ..... नहीं .....  
(ओ) क्या एमएसएमई में पंजीकृत हैं : हाँ ..... नहीं .....  
यदि उपरोक्त में से किसी का उत्तर 'हाँ' है तो एक अलग शीट पर विवरण प्रस्तुत करें।
8. (अ) मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटोर्नी) वाले व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो): .....
- (आ) राष्ट्रीयता : .....
- (इ) देयताएँ (यदि कोई हो) : .....

9. (अ) बैंकर का नाम : .....

(आ) पूरा पता : .....

(इ) फोन नंबर : .....

(ई) ई-मेल खाता : .....

10. (अ) क्या सीपीडब्ल्यूडी या किसी अन्य विभाग के साथ सूचीबद्ध हैं : हाँ/नहीं

(आ) यदि हाँ, तो नीचे दी गई तालिका में विवरण दें :

क्रम सं.	वर्ग/श्रेणी	विभाग नाम	सूचीबद्ध प्राधिकारी का पता	सूचीबद्धता संख्या तथा दिनांक	वैधता तिथि	निविदा सीमा (लाख रु. में)

11. (अ) संस्थान के अधिकारी के रिश्तेदार के रूप में आवेदक के साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति (नियम 5 देखें)

(आ) यदि हाँ, तो विवरण दें (नाम, पदनाम).....

12.0 पिछले 7 वर्षों के दौरान सुरक्षित किए गए पूर्ण कार्यों का विवरण, कार्य अनुभव के लिए पात्र (अनुलग्नक-III में दिए गए प्रोफार्मा में भरे जाने के लिए) इस सूची में उस वर्ग के लिए काम की आवश्यक संख्या से अधिक काम के सकल मूल्य (वृद्धि सहित) के साथ आवश्यक संख्या शामिल होनी चाहिए जिसमें पंजीकरण की आवश्यकता है।

13.0 प्रमाणपत्र (जो लागू न हो उसे काट दें) :

(अ) मैं/हम (सभी भागीदारों सहित) प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने संस्थान में ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए यथा संशोधित नियमों को पढ़ा है और उनका मैं/हम पालन करेंगे।

(आ) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम पंजीकृत नहीं हैं और एक ही श्रेणी में एक से अधिक नामों के तहत विभाग में खुद को ठेकेदार के रूप में पंजीकृत नहीं करवाऊँगा/करवाएँगी।

(इ) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है। मैं/हम समझते हैं कि यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो हमारा नाम सूची से रद्द किया जा सकता है।

(ई) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि,

(i) सं. 1(बी) और उपरोक्त 7 में प्रदर्शित फर्म/एलएलपी/कंपनी के घटक इस आवेदन की तारीख पर लागू होते हैं जो पंजीकरण प्राधिकारी के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। मैं/कोई भी भागीदार/निदेशक पिछले एक वर्ष के दौरान सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ।

(ii) मैंने/हमने सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सरकार से उसकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर न तो किसी व्यक्ति को रोजगार दिया है और न ही हम नियुक्त करेंगे।

(उ) मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम इस सूची के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण और संयंत्र किराए पर लेंगे या यदि हमारे पास उपकरण और संयंत्र नहीं होंगे तो हम अन्यथा व्यवस्था करेंगे। मैं/हम आगे वचन देते हैं कि यदि मैंने/हमने पहले से ही आवश्यक इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान को नियोजित नहीं किया है तो मैं/हम इस सूचीबद्धता के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए कार्यों के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान को किराए पर लेंगे या अन्यथा व्यवस्था करेंगे।

(ऊ) मैंने/हमने अनुलग्नक-II को विधिवत पूर्ण कर संलग्न किया है।

(ए) मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि बैंक टू बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित नहीं किया गया है।

(ऐ) मैं/हम वचन देते हैं कि यदि हम संस्थान द्वारा भर्ती के लिए योग्य पाए जाते हैं, तो हम निविदा भरने के लिए अपनी फर्म को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) पर नामांकित करेंगे और सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। पंजीकरण शुल्क आदि सहित, यदि कोई हो और सीपीपी पोर्टल पर फर्म की नामांकन संख्या जमा करेंगे।

(ओ) मैं/हम वचन देते हैं कि हम खंड 6.0 'विनिर्दिष्ट देशों से बोलीदाताओं की पात्रता' के तहत पात्र हैं, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रावधान कुछ देशों के बोलीदाताओं से खरीद को प्रतिबंधित करते हैं जो भारत के सीमावर्ती देश हैं और अनुलग्नक-VII इस आवेदन/भविष्य की निविदा/तकनीकी बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

यदि साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी या कंपनी के मामले में सभी भागीदार या तो सभी निदेशक या मुख्य प्रबंध निदेशक जो विशेष रूप से बोर्ड के संकल्प द्वारा अधिकृत हैं, तो उनका निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत करें :

क्रम संख्या	नाम	पता	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	पैन (PAN)

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

तारीख :

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

**Annexure-I**

**Application for Enlistment for Electrical works at IPR campus  
(Supporting documents annexed with the application form should be listed in Annexure-II)**

- 1. (a) Name of the applicant .....
- (b) Status of entity (Individual/Sole Proprietorship/Partnership Firm/Limited Liability Partnership/Company)
- (c) Registration Number for Firm (LLPIN for LLP and CIN for Company).....
- (d) Enrolment number of firm on CPP Portal.....
- 2. Nationality.....
- 3. Address
  - (a) Registered Office.....
  - (b) Head Office (if different from Registered office) .....
- 4. Contact Details
  - (a) Telephone Number.....
  - (b) Fax Number (if Any).....
  - (c) Mobile Number.....
  - (d) Website URL (If any).....
  - (e) Email Id.....
- 5. (a) PAN (Individual / Firm / LLP/ Company).....
- (b) GST registration number.....
- 6. Name, scanned passport size photograph and signature of the Individual(s)/ Partner(s)/Director(s)  
(Size of photograph should be 2.5 X 3.5 cm having white background and printed name at bottom)

SL. No.	Name	Photo	Signature

7. Is the individual / sole proprietor / any partner / director of company:

(a) Dismissed Government servant: Yes ..... No .....

(b) Removed from approved list of contractors: Yes ..... No .....

(c) Demoted to a lower class of contractors: Yes ..... No .....

(d) Having Enlistment banned/suspended by any Government in the past : Yes ..... No .....

(e) Convicted by court of law: Yes ..... No .....

(f) Retired engineer/official from Engineering Department of Government of India within last one

year:

Yes ..... No .....

(g) Director or partner of any other company/firm enlisted with Institute or any other organization

:

Yes ..... No .....

(h) Member of Parliament or any State Legislative Assembly : Yes ..... No .....

(I) whether registered in MSME: Yes ..... No .....

If answer to any of the above is 'Yes' furnish details on a separate sheet.

8. (a) Name of person holding power of attorney (if any) : .....

(b) Nationality: .....

(c) Liabilities (if any) : .....

9. (a) Name of the banker : .....

(b) Full address : .....

(c) Phone number : .....

(d) e-mail account: .....

10. (a) Whether enlisted with CPWD or any other Department: Yes/No

(b) If yes, give details in table below:

SNo.	Class/Category	Department Name	Enlistment authority and address	Enlistment Number and date	Validity Date	Tendering Limit (in Rs. Lakhs)

11. (a) Is any person working with the applicant a near relative of the official of Institute (See Rule 5)  
(b) If yes, give details (Name, Designation).....

12. Details of completed works secured during the last 7 years, eligible for work experience (to be filled in the proforma given in Annexure-III. This list should include required number of works with gross value of work done (including enhancement) more than the lowest required magnitude of works for the class in which registration is required.

13. Certificates (Strike out whichever is not applicable):

- (a) I/We (including all partners) certify that I/we have read the Rules for Enlistment of Contractors in Institute as amended up to date and shall abide by them.
- (b) I/We certify that I/we are not registered and will not get myself/ourselves registered as contractor(s) in the Department under more than one name in the same category.
- (c) I/We certify that the information given above is true to the best of my/our knowledge. I/We understand that if any information is found incorrect, our enlistment is liable to be cancelled.
- (d) I/We certify that,
  - (i) The constituents of the Firm/LLP/Company reflected in Sl. No. 1(b) and 7 above are as applicable on the date of this application which tallies with the record of the registering authority. I/none of the partners/directors retired from Government service during the last one year.
  - (ii) I/We have neither employed nor shall we employ any person within one year of his retirement from the Government except with the prior permission of the Government.
- (e) I/We undertake that I/we will hire or otherwise arrange the tools and plants required for the works procured as a result of this enlistment if I/we do not have our own tools and plants. I/we further undertake that I/we will hire or otherwise arrange the required Engineering Establishment required for the works procured as a result of this enlistment if I/we have not already employed the required Engineering Establishment.
- (f) I/We have attached Annexure-II duly completed.
- (g) I/We undertake that the works have not been got executed through another contractor on back-to-back basis.
- (h) I/We undertake that if we found eligible for Enlistment by the Institute, we will enroll our firm on Central public procurement portal (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) for filling the tender and follow all

the terms and conditions including registration fees etc. if any and submit enrolment number of firm on CPP portal.

- (i) I/we undertake that we are eligible under clause 6.0 “ELIGIBILITY OF BIDDERS FROM SPECIFIED COUNTRIES:” Provisions of orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India and Annexure - VII submitted as part of this applications /future tender/Technical Bid.

In the following table in case of partnership firm or limited liability partnership or company all partners or either all Directors or the Chief Managing Director if authorized specifically by a Board Resolution.

S. No.	Name	Address	Mobile number	Aadhar Number	PAN

**Place**

**Signature / Digital Signature of applicant**

**Date**

**(Authorized Signatory)**

अनुलग्नक-II  
(अनुलग्नक-I का क्रमांक 14(ए) देखें)  
सूचीबद्धता के लिए संलग्न दस्तावेजों की सूची

एंटीटी का नाम :

क्र.सं.	दस्तावेज विवरण	अनुलग्नक	क्या संलग्न किया गया है	
			हाँ	नहीं
1	संगठन का साक्ष्य {(अनुलग्नक-I, क्रमांक 1(b))}			
(अ)	एकमात्र स्वामित्व के मामले में : मजिस्ट्रेट जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं है, के समक्ष निष्पादित एक हलफनामा कि आवेदक फर्म का एकमात्र मालिक है	कोई नहीं		
(आ)	साझेदारी फर्म के मामले में : पंजीकरण का प्रमाणन, साझेदारी विलेख, और निर्धारित दस्तावेज जो साझेदारी फर्म के पते या गठन में परिवर्तन का संकेत देते हैं।	कोई नहीं		
(इ)	सीमित देयता भागीदारी के मामले में : निगमन का प्रमाण पत्र, साझेदारी विलेख और निर्धारित दस्तावेज जो एलएलपी के पते या गठन में परिवर्तन का संकेत देते हैं।	कोई नहीं		
(ई)	प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में : निगमन का प्रमाण पत्र, एसोसिएशन के विलेख और निदेशक मंडल के पते या गठन में परिवर्तन का संकेत देने वाले निर्धारित दस्तावेज।	कोई नहीं		
2	मुख्तारनामा, यदि कोई हो, अनुलग्नक-I, क्रमांक 8 (अ) या बोर्ड संकल्प, यदि कोई हो।	कोई नहीं		
3	सूचीबद्धता आदेश की स्व-सत्यापित प्रति, यदि कोई हो {अनुलग्नक-I, क्रमांक 10 (अ) और 10 (आ)}।	कोई नहीं		
4	संस्थान में कार्यरत सभी निकट सम्बन्धियों की सूची {अनुलग्नक-I, क्रमांक 11(अ) एवं 11(आ)} (सूचीकरण नियमावली का नियम 5.0 भी देखें)	कोई नहीं		
5	अनुलग्नक III में पूर्ण किए गए कार्यों की सूची (नियम 2.0 देखें)	अनुलग्नक III		
6	अनुलग्नक-III में शामिल पूर्ण किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार पत्रों / कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियाँ	कोई नहीं		
7	अ) अनुसूचित बैंक का मूल रूप से बैंकर का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक V-1 में) आ) अनुलग्नक V-2 में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यों पर औसत वार्षिक कारोबार प्रमाण पत्र। इ) अनुलग्नक V-2 में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यों पर लाभ और हानि विषयक प्रमाण पत्र	V-1 V-2 V-2		
8	अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार भुगतान के लिए आदेश प्रपत्र	IV		
9	अनुलग्नक-V के अनुसार अंडरटेकिंग	V		
10	अनुलग्नक-VI के अनुसार संचारण पत्र VI	VI		
11	पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण / टैन पंजीकरण विवरण	कोई नहीं		
12	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र	कोई नहीं		
13	पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो	कोई नहीं		
14	एमएसएमई प्रमाणपत्र की प्रति (यदि एमएसएमई के साथ पंजीकृत हैं)	कोई नहीं		
15	सीपीपी पोर्टल में नामांकन का प्रमाण	कोई नहीं		
16	निर्दिष्ट देशों के बोलीदाताओं की पात्रता	VII		
१७	वैध विद्युत अनुबंध लाइसेंस	कोई नहीं		



Annexure-II  
(Refer to S No 14(g) of Annexure-I)  
**List of Documents scanned and uploaded for Enlistment**

Name of Entity/firm:

S No	Document Description	Annexure	Weather enclosed	
			Yes	No
1	Proof of constitution {(Annexure-I, S No 1(b))}			
(a)	In case of sole proprietorship: an affidavit executed before the Magistrate not below the rank of Executive Magistrate/ First class Magistrate that the applicant is the sole proprietor of the firm	None		
(b)	In case of partnership firm: Certification of Registration, Partnership Deed, and prescribed documents indicating change in address or constitution of partnership Firm.	None		
(c)	In case of Limited Liability Partnership: Certificate of Incorporation, Partnership Deed and prescribed documents indicating change in address or constitution of LLP.	None		
(d)	In case of Private/Public Limited Company: Certificate of Incorporation, Articles of Association and prescribed documents indicating change in address or constitution of Board of Directors.	None		
2	Power of attorney, if any, Annexure-I, S No 8 (a) or Board Resolution, if any.	None		
3	Self-attested copy of enlistment order, if any { Annexure-I, S No 10 (a) & 10 (b)}.	None		
4	List of all near relatives working in Institute { Annexure-I, S No 11(a) & 11 (b)} (See also Rule 5.0 of Enlistment Rules)	None		
5	List of completed works (see Rule 2.0) in Annexure-III	Annexure III		
6	Self-attested copies of award letters / work order and completion certificate for completed works included in Annexure-III	None		
7	a) Banker's Certificate from Scheduled Bank in original (in Annexure V-I) b) Average Annual Turnover Certificate on works during the last three financial years in Annexure V-2. c) Profit & Loss Certificate on works during the last five financial years in Annexure V-2	V-1 V-2 V-2		
8	Mandate Form for Payment as per Format given in Annexure-IV	IV		
9	Undertaking as per Annexure-V	V		
10	Letter of transmittal as per Annexure-VI	VI		
11	PAN (Permanent Account Number) Registration / TAN Registration details	None		
12	GST Registration Certificate	None		
13	Additional documents if any to meet the eligibility criteria.	None		
14	Copy of MSME certificate (if registered with MSME)	None		
15	Proof of enrolment in CPP portal	None		
16	Eligibility of bidders from specified countries	VII		
17	Valid Electrical contractor license	None		

### अनुलग्नक-III

पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण : पिछले सात वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए पात्रतायुक्त कार्य

1	कार्य/परियोजना और स्थान का नाम	
2	एजेंसी का नाम	
3	अनुबंध संख्या	
4	अनुबंध राशि	
5	पूर्ण कार्य का सकल मूल्य	
6	कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि	
7	कार्य पूर्ण होने की तिथि अ) कार्य पूरा होने की संभावित तिथि आ) कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि इ) कार्य पूरा करने की उचित विस्तारित तिथि, यदि कोई हो	
8	भवनों के लिए विद्युतीकरण कार्य / मूल कार्य / नवीकरण कार्य / परिवर्धन / परिवर्तन / उन्नयन	
9	विलंब से कार्य पूरा करने पर लगाए गए मुआवजे की राशि, यदि कोई हो अ) देरी से कार्य करने के लिए लगाए गए मुआवजे का मामला तय किया गया है या नहीं हाँ/नहीं आ) यदि देरी से कार्य करने के लिए लगाए गए मुआवजे का मामला तय किया गया है, तो विलम्ब से पूर्ण करने के लिए लगाए गए मुआवजे की राशि, यदि कोई हो	
10	मुकदमेबाजी/मध्यस्थता का विवरण, यदि कोई हो	
11	मालिक का विवरण	
	(अ) नाम	
	(आ) पता	
	(इ) फोन	
	(ई) ई-मेल	

प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा मेरे/हमारे खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई है। मैं/हम समझते हैं कि यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो हमारी सूची रद्द की जा सकती है।

आवेदक द्वारा स्व-सत्यापन मुहर और पदनाम के साथ आवेदक स्वामी के हस्ताक्षर (परियोजना प्रबंधक या कार्यकारी अभियंता या समकक्ष)

नोट :1. कार्य अनुभव के लिए प्रस्तावित सभी पात्रतायुक्त कार्यों के लिए यह प्रोफार्मा अलग से भरा जाएगा।  
आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवश्यकतानुसार इस प्रपत्र की फोटोकॉपी करा लें।

### Annexure-III

#### Details of completed works: Eligible works completed during the last seven years

1	Name of work/project & location	
2	<b>Name of agency</b>	
3	Agreement number	
4	Agreement amount	
5	Gross value of completed work	
6	Stipulated date of start	
7	Date of completion a. Stipulate date of completion b. Actual date of completion c. Justified extended date of completion, if any	
8	Electrification work for buildings /original works/Renovation works/additions/ alternations/ up gradation	
9	Amount of compensation levied for delayed completion if any a. Whether case of levy of compensation for delay has been decided or not Yes/No b. If decided, amount of compensation levied for delayed completion, if any	
10	Details of litigation/arbitration, if any	
11	Details of owner	
	(a) Name	
	(b) Address	
	(c) Phone	
	(d) e-mail	

Certificate: This is to certify that no adverse action has been taken by the department concerned against me/us. I/We understand that if any information is found incorrect, our enlistment is liable to be cancelled.

Self-attestation by Applicant Owner's Signature with seal and designation (Project Manager or Executive Engineer or Equivalent)

**Note:-1.** This Performa shall be filled up separately for all eligible works proposed for works experience. Applicants are requested to take photocopies of this Performa as per requirement.



**Annexure IV**

**MANDATE FORM -FORMAT TO BE ENCLOSED**

**To,**  
**The Accounts Officer, Institute for Plasma Research, Bhat, Gandhinagar - 382 428**

**Sub:** Bank Details for Payment through Electronic Mode

**Sir,**

It is requested that our payment may please be arranged through Electronic Mode. The details of bank are as under:

**1. IFSC CODE**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2. NEFT Code**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Account No.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Full Account No. for payment to be made through Electronic Mode.

4. Account Type. CURRENT A/C (11)/CASH CREDIT A/C (13)

**5. MICR NO.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Note: 1<sup>st</sup> three digit & last of 3 digit of MICR No. should not be zero.*

6. Name of Bank:  
.....

7. Name of Branch:  
.....

8. Address of Bank:  
.....

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for any reasons, I would not hold the user institution responsible and agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the scheme.

Yours faithfully,

(Signature of Bank authority)  
With Name, Designation & Company's seal.

## अनुलग्नक – V

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वचनपत्र – इस टेम्प्लेट (वचनपत्र) पर हस्ताक्षर करके आवेदक द्वारा अपने लेटर हेड पर जमा किया जाए।

कार्य का नाम : विद्युत कार्यों के लिए ठेकेदार की सूचीबद्धता हेतु आवेदन

निविदा सूचना संख्या : IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL dated 18/03/2025

मैं एतद्द्वारा वचन देता हूँ कि

1. मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी आवेदन जमा करने की तिथि पर वास्तविक, प्रामाणिक, सत्य और वैध है और यदि कोई फॉर्मेशन नामांकन अवधि के किसी भी चरण में गलत पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूँगा।
2. मैं ई-भुगतान के लिए अपनी सहमति दे रहा हूँ।
3. मैं इस आवेदन में संदर्भ रखने वाले बैंकरो, ग्राहकों से सूचना/स्पष्टीकरण माँगने के लिए आईपीआर को अधिकृत करता हूँ।
4. मैंने अपने द्वारा दी गई जानकारी और डेटा के समर्थन में आवेदन दस्तावेज में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ जमा कर दी हैं।
5. मैं उन सभी उपक्रमों को स्वीकार करता/करती हूँ जैसा कि सूचीकरण प्रपत्रों में कहीं और निर्दिष्ट किया गया है।
6. यह अनुबंध मेरे आवेदन का एक हिस्सा होगा और यदि संस्थान मुझे/हमें सूचीबद्ध करता है, तो यह निगम के साथ हमारे समझौते का एक हिस्सा होगा।
7. मैं एतद्द्वारा बोली जमा करने के दौरान प्रत्येक निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बयाना राशि जमा करने के लिए सहमत हूँ।
8. मैं एतद्द्वारा प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ। यदि मैं/हम, निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि निदेशक, आईपीआर या उनके कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि हम निर्माण शुरू होने के बाद लगातार छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निर्माण को स्थगित नहीं करते।
10. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि मैंने/हमने या साझेदारी फर्म के मामले में किसी भी घटक भागीदार ने कार्य पूरा होने से पहले कभी नहीं छोड़ा।
11. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि हम, या साझेदारी फर्म के मामले में किसी भी घटक भागीदार को किसी भी समय किसी भी संगठन में निविदा के लिए प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
12. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि हम, या साझेदारी फर्म के मामले में किसी भी घटक भागीदार को कभी भी किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।
13. मैं/हम वचन देते हैं कि यदि हम संस्थान द्वारा भर्ती के लिए योग्य पाए जाते हैं, तो हम निविदा भरने के लिए अपनी फर्म को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) पर नामांकित करेंगे और सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। पंजीकरण शुल्क आदि सहित, यदि कोई हो और सीपीपी पोर्टल पर फर्म की नामांकन संख्या जमा करेंगे।

मुहर के साथ आवेदक के हस्ताक्षर

## Annexure V

### **UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY THE APPLICANT - TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT ON THEIR LETTER HEAD AFTER SIGNING THIS TEMPLATE (UNDERTAKING)**

Name of Work: **Application for Enlistment of Contractors for electrical works**

Tender Notice number: IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL dated 18/03/2025

#### **I DO HEREBY UNDERTAKE**

1. That all the information being submitted by me is genuine, authentic, true and valid on the date of submission of application and if any formation is found to be false at any stage of Enlistment period, I will be liable to the penal actions.
2. That I am giving my consent for e-payment.
3. That I do authorize IPR for seeking information / clarification from by bankers, clients having reference in this application.
4. That I have submitted photo copies of all relevant documents as prescribed in the application document in support of the information and data furnished by me.
5. That I accept all the undertakings as specified elsewhere in the Enlistment forms.
6. That this agreement will be a part of my application and if institute Enlist to me /us, this will be a part of our agreement with corporation.
7. That I hereby agree to submit Earnest Money Deposit as per the Instructions specified in the each Tender Document during submission of Bid.
8. That I hereby agree to submit performance guarantee. If I/we, fail to furnish the prescribed performance guarantee within prescribed period, I/we agree that the said Director, IPR or his successors in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said earnest money absolutely.
9. I hereby agree that we never suspend construction for a period of more than six months continuously after commenced the construction.
10. I hereby agree that we or any constituent partner in case of partnership firm, never abandoned the awarded work before its completion.
11. I hereby agree that we, or any constituent partner in case of partnership firm, never been debarred / black listed for tendering in any organization at any time.
12. I hereby agree that we, or any constituent partner in case of partnership firm, never been convicted by a court of law.
13. I/We undertake that if we found eligible for Enlistment by the Institute, we will enroll our firm on Central public procurement portal (<https://eprocure.gov.in/cppp/>) for filling the tender and follow all the terms and conditions including registration fees etc. if any and submit enrolment number of firm on CPP portal.

Signature of Applicant with Seal

## अनुलग्नक – VI

### प्रसारण पत्र

प्रेषक :

-----  
-----  
-----

सेवा में,  
अध्यक्ष, आईसीडीसी,  
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान,  
भाट,  
गांधीनगर - 382428

विषय : विद्युत कार्यों के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन की प्रस्तुति

संदर्भ : निविदा सूचना संख्या आईपीआर/ईएमपी/1/2025/ELECTRICAL दिनांक 18/03/2025

महोदय,

उपरोक्त आवेदन विषयक विवरणों की जांच करने के बाद, मैं/हम इसके द्वारा प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

1. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि संलग्न अनुलग्नक I से VII, V-1 और V-2 में दिए गए सभी विवरण और दी गई जानकारी और साथ में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं।
2. मैंने/हमने पात्रता के लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं और इनके सिवाय कोई और प्रासंगिक जानकारी नहीं है।
3. मैं/हम अपेक्षित सोल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और आईपीआर को सोल्वेंसी सर्टिफिकेट जारी करने वाले बैंक से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं ताकि इसकी सत्यता की पुष्टि हो सके। मैं/हम आईपीआर अधिकारियों को हमारी क्षमता और सामान्य प्रतिष्ठा को सत्यापित करने के लिए व्यक्तियों, नियोक्ताओं, फर्मों और संस्थान से संपर्क करने के लिए भी अधिकृत करता हूँ/करते हैं।
4. मैं/हम भलीभाँति जानता हूँ/जानते हैं कि हमें अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) से अवगत कराया जाएगा, जिसमें अद्यतन संशोधित प्रावधानों, अनुबंध की विशेष शर्तों, सुरक्षा नियमावली, मेक इन इंडिया के संबंध में प्रावधान, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रावधान शामिल हैं जो भारत के सीमावर्ती कुछ देशों के बोलीदाताओं को बोली लगाने को प्रतिबंधित करते हैं। मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि हमारा सूचीबद्धता भी हमारी इसी स्वीकृति के अधीन होगी।
5. मैं/हम निम्नलिखित अपनी उपयुक्तता, तकनीकी जानकारी और कार्य को समयानुसार सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं :

क्रमांक	कार्य का नाम	द्वारा/से प्रमाणित
1		
2		
3		

प्रमाणपत्र : प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न पात्रता आवेदन में दी गई जानकारी सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं/हम सूची से हटाने, अयोग्य/निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

जमा करने की तिथि :

आवेदक की मुहर और हस्ताक्षर



**Annexure-VI**

**LETTER OF TRANSMITTAL**

**From:**

\_\_\_\_\_

To  
Chairperson, ICDC,  
Institute for Plasma Research,  
Bhat, Gandhinagar – 382428

**Subject: Submission of Application for Enlistment of Contractors for Electrical works**

Ref : **Tender Notice No. IPR/EMP/1/2025/ELECTRICAL**

Sir

Having examined the details given for the above Application, I/We hereby submit the relevant information.

1. I/We hereby certify that all the statements made and information supplied in the enclosed Annexure I to VII, V-1 & V-2 and accompanying statements are true and correct.
2. I/We have furnished all information and details necessary for eligibility and have no further pertinent information to supply.
3. I/We submit the requisite certified solvency certificate and authorize IPR to approach the Bank issuing the solvency certificate to confirm the correctness thereof. I/We also authorize IPR officials to approach individuals, employers, firms and Institute to verify our competence and general reputation.
4. I/We understood that we will be provided with the General Conditions of contract (GCC) including latest amendments, Special Conditions of contract, Safety manual, Provisions regarding Make in India, Provisions of orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India. I/We hereby confirm that our Enlistment will be subjected to our acceptance of the same.
5. I/We submit the following certificates in support of our suitability, technical knowhow and capability for having successfully completed the following eligible similar works:

No.	Name of work	Certified by/from
1		
2		
3		

Certificate: It is certified that the information given in the enclosed eligibility application are correct. It is also certified that I / We shall be liable to be debarred, disqualified / cancellation of enlistment in case any information furnished by me / us is found to be incorrect.

Date of submission:

Seal and signature of Applicant

(लेटर हेड पर प्रिंट किया जाए)

अनुलग्नक- VII

बोली प्रपत्र का अनुलग्नक : पात्रता घोषणा

(आवेदन/निविदा/तकनीकी बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाए)

(कंपनी के लेटर हेड पर)

(समर्थन दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो)

बोलीदाता का नाम : \_\_\_\_\_

(पता और संपर्क विवरण)

बोलीदाता का ऑफर संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_

सामान्य वित्त नियम 2017 के नियम 144(xi) के तहत किसी देश या देशों या देशों के वर्ग से बोलीदाताओं से प्राप्ति पर प्रतिबंध।

1. निविदाओं के लिए प्रमाण पत्र :

"मैंने भारत के सीमावर्ती देशों के बोलीदाता से निविदा प्राप्ति पर प्रतिबंध के बारे में उपबंध पढ़ा है : मैं प्रमाणित करता हूँ कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) ऐसे किसी देश से नहीं है या सक्षम प्राधिकारी के साथ ऐसे देश से पंजीकृत किया गया है। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और सूचीबद्धता हेतु विचार किए जाने के योग्य है। (जहाँ लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा)।"

2. उप-अनुबंध के लिए प्रमाण पत्र :

"मैंने भारत के सीमावर्ती देशों के बोलीदाता से निविदा प्राप्ति पर प्रतिबंध के बारे में उपबंध पढ़ा है तथा ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में भी पढ़ा देता है; मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से, सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के ठेकेदार को किसी भी काम का उप-अनुबंध तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और सूचीबद्धता हेतु विचार किए जाने के योग्य है। (जहाँ लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा)।"

झूठी या भ्रामक घोषणाओं के लिए दंड :

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण तथ्यात्मक रूप से सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा हम उपरोक्त विवरणों में किसी भी तरह के बदलाव न करने का भी वचन देते हैं। हम यह भलीभाँति जानते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी गलत या भ्रामक स्व-घोषणा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होगी और इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित दंड सहित सूचीकरण विषयक रोक लगाने की परिणति के रूप में होगी।

(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

(नाम और पद)

के लिए और की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

(बोली लगाने वाले का नाम और पता तथा कंपनी की मुहर)

(To be printed in letter head)

---

**ANNEXURE-VII**  
**Annexure to Bid Form: Eligibility Declaration**

(To be submitted as part of Application/tender/Technical Bid)  
(On company letter head)  
(Along with supporting documents, if any)

Bidder's Name: \_\_\_\_\_

(Address and contact details)

Bidder's Offer No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**Restrictions on procurement from Bidders from a country or countries, or class of countries under Rule 144(xi) of the General Financial Rules 2017.**

1 - Certificate for Tenders:

“ I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India: I certify that \_\_\_\_\_ (Bidder name) is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. I hereby certify that \_\_\_\_\_ (Bidder name) fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered. (Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached)”.

2 - Certificate for sub-contracting:

“ I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India and on sub-contracting to contractors from such countries; I certify that \_\_\_\_\_ (Bidder name) is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority and will not sub-contract any work to a contractor from such countries unless such contractor is registered with the Competent Authority. I hereby certify that \_\_\_\_\_ (Bidder name) fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered. (Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.)”

Penalties for false or misleading declarations:

We hereby confirm that the particulars given above are factually correct and nothing is concealed and also undertake to advise any further changes to the above details. We understand that any wrong or misleading self-declaration by us would be violation of Code of integrity and would attract penalties as mentioned in this tender document, including debarment.

\_\_\_\_\_  
(Signature with date)

\_\_\_\_\_  
(Name and designation)

Duly authorized to sign Bid for and on behalf of

\_\_\_\_\_  
(Name & address of the Bidder and Seal of Company)

(लेटर हेड में मुद्रित किया जाना है)

### अनुलग्नक-VIII

#### मेक इन इंडिया ऑर्डर सर्टिफिकेट को प्राथमिकता देने के तहत स्व-प्रमाणन

सरकारी सार्वजनिक खरीद आदेश संख्या P-45021/2/2017-PP (BE-II) दिनांक 04.06.2020 और इसके संशोधनों के अनुरूप, हम प्रमाणित करते हैं कि हम मेसर्स \_\_\_\_\_ स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं जो IPR पूछताछ/निविदा संख्या IPR/TN/ELEC/01/2024 DT: 22/04/2024 के तहत सामग्री के लिए उपरोक्त आदेशों में परिभाषित परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण, प्रशिक्षण और बिक्री के बाद सेवा समर्थन जैसे AMC/CMC आदि को छोड़कर न्यूनतम स्थानीय सामग्री यानी \_\_\_\_\_% की आवश्यकता को पूरा करते हैं। स्थान का विवरण जहां स्थानीय मूल्य संवर्धन किया जाएगा, निम्नानुसार है:

।

हम यह भी समझते हैं कि गलत घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175(1) (i) (h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151(iii) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, साथ ही कानून के तहत ऐसी अन्य कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं।

धन्यवाद,

(हस्ताक्षर और तारीख)

(नाम और पदनाम)

(बोलीदाता का नाम और पता और कंपनी की मुहर)

के लिए और उसकी ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत

(To be printed in letter head)

---

**ANNEXURE-VIII**

**Self-Certification under preference to Make in India order Certificate**

In line with Government Public Procurement Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 and its amendments, we hereby certify that we M/s. \_\_\_\_\_ are local supplier meeting the requirement of minimum local content i.e., \_\_\_\_\_% excluding transportation, insurance, installation, commissioning, testing, training and after sales service support like AMC/CMC etc. as defined in above orders for the material against IPR Enquiry/Tender No. **IPR/EMP/01/2025/ELECTRICAL DT: 18/03/2025.** Details of location at which local value addition will be made as follows:

\_\_\_\_\_.

We also understand, false declarations will be in breach of the code of integrity under rule 175(1) (i) (h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151(iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

Thanking You,

---

(Signature with date)

---

(Name and designation)

Duly authorized to sign Bid for and on behalf of

---

(Name & address of the Bidder and Seal of Company)

अनुलग्नक - V-1 : अनुसूचित बैंक का बैंकर - प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार श्री/श्रीमती/मैसर्स  
जिनका पंजीकृत पता

\_\_\_\_\_ है तथा जो हमारे बैंक के एक सम्मानित  
ग्राहक हैं जिन्हें \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_) रुपये की  
सीमा तक किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वसनीय माना जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या किसी अधिकारी की बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)  
बैंक के लिए

नोट : (1) बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो संस्थान को संबोधित हो।

(2) साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

**Annexure “V-1”: FORM OF BANKER’S CERTIFICATE FROM SCHEDULED BANK**

This is to certify that to the best of our knowledge and information that  
Shri/Smt/M/s. \_\_\_\_\_ having registered address  
\_\_\_\_\_ a customer of our bank are  
/ is respectable and can be treated as reliable for any engagement up to a limit of Rs.  
\_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_).

This certificate is issued without any guarantee or responsibility on the bank or any of the officers.

(Signature)  
For the Bank

- NOTE: (1) Bankers certificates should be on letter head of the Bank, addressed to Institute.  
(2) In case of partnership firm, certificate should include names of all partners as recorded with the Bank.

**अनुलग्नक - V-2 : सम्पन्न कार्य विषयक वार्षिक टर्नओवर का चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र का प्रपत्र (नियम 3 देखें)**

प्रमाणित किया जाता है कि नियम-3.1 में उल्लिखित वर्षों के लिए आयकर विभाग के पास दाखिल विवरणी के अनुसार व्यक्ति/फर्म/कंपनी के कार्यों के पिछले 5 (पाँच) वित्तीय वर्षों का लाभ और हानि से संबंधित वार्षिक टर्नओवर निम्नानुसार है -  
व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम और पंजीकृत पता \_\_\_\_\_

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कार्य का वार्षिक टर्न ओवर (लाख रु. में)	लाभ और हानि (लाख रु. में)
1			
2			
3			
4			
5			

विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN).....

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर

(चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम)

आईसीएआई की सदस्यता संख्या

तारीख और मुहर

Annexure – V-2:

**Form of Certificate of Annual Turnover on works from Chartered Accountant (refer to rule 3)**

Certified that following is the annual turnover on works of the individual/firm/company as per return filed with income tax department for the years as mentioned in Rule- 3.1 and profit and loss for last past 5 (five) financial years.

Name and registered address of individual/firm/company \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

S No.	Financial Year	Annual turnover on works in ₹ Lacs	Profit & Loss in ₹ Lacs
1			
2			
3			
4			
5			

Unique Document Identification Number (UDIN).....

Signature of Chartered Accountant

(Name of Chartered Accountant)

Membership No. of ICAI

Date and seal



## भाग- ई: आवेदन मूल्यांकन प्रक्रिया

### **PART- E -TENDER EVALUATION PROCESS**

आवेदनों के खोले जाने के पश्चात आगे विस्तृत जाँच/मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तार से जाँच की जाएगी। पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने वाले किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे प्रस्तावों पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक जो ऊपर वर्णित पात्रता मानदंड को पूरा करता है उसे तकनीकी रूप से सही और आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य माना जाएगा।

तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों को अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी), अनुबंध की विशेष शर्तों, सुरक्षा नियमावली, मेक इन इंडिया के प्रावधान, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रावधानों का पालन करना होगा जिनके अनुसार भारत के सीमावर्ती कुछ देशों के बोलीदाता इस प्रक्रिया में प्रतिभागिता हेतु प्रतिबंधित हैं।

आवेदकों को टेंडर भरने के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस आदि सहित सभी नियमों व शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें सीपीपीपी पोर्टल पर फर्म की नामांकन संख्या सहित, संस्थान में नामांकन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को संबंधित श्रेणी के तहत 3 साल की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। संस्थान आवेदकों को उनकी सूचीबद्धता के बारे में सूचित करेगा।

#### **Application Evaluation Process**

On opening of applications, further detailed scrutiny / evaluation will be carried out. During the evaluation of applications, the documents furnished by the Applicant will be scrutinized in detail. Any application, found as not fulfilling the eligibility criteria will be summarily rejected and such offers will not be considered for further processing.

The Applicant who satisfies the eligibility criteria mentioned as above shall be considered as technically qualified and eligible for further processing.

The technically qualified applicants shall be provided with the General Conditions of contract (GCC), Special Conditions of contract, Safety manual, Provisions regarding Make in India, Provisions of orders issued by the Government of India restricting procurement from bidders of certain countries which shares a land border with India for their acceptance.

These applicants will also have to be registered on Central public procurement portal (CPPP) for filling the tender and follow all the terms and conditions including registration fees etc. in any and must submit the enrollment proof to the Institute including enrolment number of firm on CPP portal.

Those applicants who fulfill all the above shall be enlisted under respective category for period of 3 years. Institute shall intimate the applicants regarding their Enlistment.